194

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रामजी सहाय
सरोकड़िया
कलेक्ट्रेट, जौनपुर

DV 030177

माँ वैष्णवी शिक्षण एवम् समाज कल्याण ट्रस्ट

न्यास विलेख

यह न्यास विलेख आज दिनांक 10/11/17 को **रामानन्द यादव पुत्र श्रीराम यादव** निवासी ग्राम व पोस्ट–करंजाकला परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–जौनपुर द्वारा घोषित किया गया, जिन्हे आगे न्यासकर्ता/प्रबन्धक/संस्थापक कहा जाएगा।

न्यासकर्ता गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण एवं सामाजिक कार्य प्रदान करने के लिए एक शैक्षिक एवं सामाजिक न्यास स्थापित करने के आशय से एक न्यास **माँ वैष्णवी शिक्षण एवम् समाज कल्याण ट्रस्ट** के नाम से सृजित करते हैं और सम्पत्ति 5100/– रूपये न्यास के आरम्भ के लिए समर्पित करते हैं।

लोक न्यास का यह विलेख यह घोषित करता है कि इस न्यास के न्यासकर्ता उपरोक्त **रामानन्द यादव पुत्र श्रीराम यादव** अपना उपरोक्त धन देकर न्यास के उद्देश्य और आशय हेतु न्यास सृजित करते हैं और घोषित करते हैं कि–

1– इस न्यास का नाम – **माँ वैष्णवी शिक्षण एवम् समाज कल्याण ट्रस्ट है।**

2– स्थान–इस न्यास का पंजीकृत कार्यालय ग्राम व पोस्ट–करंजाकला, परगना–हवेली, ब्लाक–करंजाकला, तहसील–सदर, जिला–जौनपुर है किन्तु न्यासी द्वारा यथा आवश्यकता, सुविधा और कार्य की अधिकतानुसार किसी दूसरे स्थान पर किया जा सकता है। लेकिन इसका मुख्यालय उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय स्थल ही रहेगा तथा इस न्यास का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

3– **न्याय का उद्देश्य–**

1. बिना लिंग भेद किये हुए सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयो, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, पर्यावरण,

01 NOV 2017

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रामजी सहाय
उपरोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

DV 030178

एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण विकास सम्बद्ध आबद्ध प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों, शासन आदि से उन्हें सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत करना।

2. यह कि इस न्याय का आशय और उद्देश्य देश के युवकों में राष्ट्रीय भावना, अच्छा आचरण, शिक्षा एवं कार्यशैली और श्रेणी का उचित चयन करना और उचित दिशा निर्देश देना होगा।
3. यह कि शिक्षा केन्द्र शिक्षा संस्थाएं प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षण, प्रशिक्षण, संस्थायें, साहित्यिक और कलात्मक अध्यात्मिक संस्था एवं कार्यक्रम स्थापित करना और कार्यान्वित करना और गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए हर सम्भव प्रयास करना।
4. यह कि विभिन्न श्रेणियों के चयन हेतु कार्यक्रम निर्धारित करना।
5. यह कि नगरीय और ग्रामीण विकास के लिए राज्य/केन्द्र द्वारा स्थापित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रबन्ध करना।
6. यह कि राष्ट्रीय प्रदेशीय परिषदीय विश्वविद्यालय और अन्य किसी भी वैध संस्था से प्राप्त विकास कार्यक्रमों को न्यास के लाभ के लिए क्रियान्वित करना।
7. यह कि जाति, लिंग, सम्प्रदाय, निवास और दलगत राजनति से परे रहकर समरसतापूर्ण समाज निर्माण हेतु प्रयास करना।
8. यह कि विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में परामर्श और सेवा देना। नागरिकों को उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना शैक्षिक संस्थायें स्थापित करना और लोक कल्याण की योजनायें चलाना।
9. यह कि सामान्य शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार परक, तकनीकी एवं व्यावसायिक क्राफ्ट प्रशिक्षण, प्राविधक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, शिक्षा केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, आवासित विद्यालय शोध केन्द्र छात्रावास आदि स्थापित करना।
10. यह कि सामान्य जनमानस में नयी तकनीकी ज्ञान नयी संचार तकनीकी का प्रयोग कराना, कृषि के नये उपकरणों के प्रयोग लघु उद्योगों व कुटीर उद्योगों आदि का प्रचार प्रसार करके विभिन्न प्रकार प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे कुशल कारीगर बनाना, जिससे वे स्वावलम्बी हो सके।
11. यह कि न्यासी परिषद द्वारा निर्धारित आदेशित और संकल्पित क्रियाकलापों को क्रियान्वित करना।

Anand Yada

क्रमांक २२८६ दिनांक ८-११-२०१६

ग्राम ...

निवासी ... जिला

पंजीकरण तिथि 31-3-18

जौनपुर ...-278

वरिष्ठ कोषाधिकारी

01 NOV 2017

जौनपुर

न्यास पत्र

प्रतिफल -	5100	स्टाम्प शुल्क-	750	बाजारी मूल्य -	0
पंजीकरण शुल्क -	120	प्रतिलिपिकरण शुल्क -	80	योग :	200

श्री रामानन्द यादव

पुत्र श्री श्रीराम यादव

व्यवसाय : व्यापार

निवासी: करंजाकला,पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 10/11/2017 एवं 02:33:34 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनय कुमार सिंह, प्र०

उप निबंधक : सदर

जौनपुर

अंकित श्रीवास्तव

नि०लि०

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रामजी सहाय
उपरोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

DV 030179

12. यह कि शिक्षा के माध्यम से जनपद एवं देश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के बालक/बालिकाओं अकुशल कामगारों, बेरोजगारों युवकों–युवतियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था कर विकास में सहयोग प्रदान करना।

(4)– **न्यासी परिषद**

इस न्यास का न्यासी परिषद इस प्रकार है–

1. श्री रामानन्द यादव पुत्र श्रीराम यादव– प्रबन्धक
2. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री रामानन्द यादव–अध्यक्ष
3. श्री राहुल सिंह यादव पुत्र श्री रामानन्द यादव–उपाध्यक्ष
4. श्री आकाश यादव पुत्र श्री रामानन्द यादव– कोषाध्यक्ष

निवासीगण ग्राम व पोस्ट–करंजाकला, तहसील–सदर, जौनपुर

5. शैलेश कुमार पुत्र विजय बहादुर यादव–सदस्य

निवासी ग्राम–नेवढ़िया, बरईपार, जौनपुर।

(अ) यह कि उपरोक्त न्यासी परिषद के सदस्य इस न्यास के आजीवन न्यासी हैं। इस न्यास परिषद के प्रबन्धक न्यासी/मुख्य न्यासी होंगे। जिन्हे किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का विशेष अधिकार वीटो होगा। जिनके ऊपर न्यास के नित्य–प्रति के दायित्वों के संचालन का उत्तरदायित्व होगा, जो आजीवन यथावत अपने पद पर आसीन रहेंगे और इस न्यास परिषद के अन्य सभी न्यासियों को निम्नलिखित कारणों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार से न्यासी परिषद से नही हटाया जा सकेगा तथा न्यासी परिषद में न्यासियों की अधिकतम संख्या 05 (पाँच) होगी।

(ब) यह कि किसी न्यासी को उसकी आचरणहीनता और नैतिक अधोपतन के अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने के आधार पर न्यासी परिषद से हटाया जा सकता है।

(स) यह कि किसी न्यासी की मृत्यु पर अथवा उसके द्वारा स्वयं त्यागपत्र देने पर अथवा उसका मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाने पर उसकी सदस्यता न्यासी परिषद से समाप्त हो जायेगी।

(द) यह कि कोई न्यासी लगातार तीन बैठकों में बिना उचित कारण बतायें अनुपस्थित रहता है तो उस स्थान को रिक्त मानकर मुख्य न्यासी नये न्यासी का प्रस्ताव बनाकर नियुक्त कर सकता है।

Rama Nand Yadav